HRDV No. P001266174 **17 मई, 2022**

सभी क्षेत्रीय /शाखा कार्यालयों / त्वरित ऋण सेवा केंद्रों /
विशेष आस्ति वसूली शाखाओं, विस्तार शाखा कार्यालयों के प्रभारी
अधिकारी,लखनऊ प्रधान कार्यालय, मुंबई और नई दिल्ली कार्यालय
स्थित कार्यालय उद्-भागों के प्रमुख, स्वावलंबन अकादमिक केंद्र,भुवनेश्वर ,
सीजीटीएमएसई, आईएसटीएसएल, आईसार्क, एनसीजीटीसी और एसवीसीएल
मुद्रा लिमिटेड के प्रभारी अधिकारी

महोदया/ प्रिय महोदय,

मानव संसाधन विकास उद्भाग परिपत्र संख्या 09/2022-23/

स्थानांतरण नीति में आशोधन

कृपया स्थानांतरण नीति पर मानव संसाधन विकास उद्-भाग के दिनांक 26 जून, 2015 के परिपत्र संख्या 03/2015-16 और उसके बाद समय-समय पर किए गए आशोधनों का संदर्भ लें।

2. स्थानांतरित अधिकारियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से बैंक की स्थानांतरण नीति की समीक्षा की गई है। निम्नलिखित परिवर्तनों को लागू करने का निर्णय किया गया है:

(a) स्थानांतरण नीति के उद्देश्य के प्रति किसी भी केंद्र में कार्यकाल की गणना के लिए कोविड -19 के कारण 2 साल तक की अवधि को नेट ऑफ करना।

(b) अधिकारी के अनुरोध पर उसके पूरे कार्यकाल में चार साल की अधिकतम अवधि (अधिकतम 2 साल के 2 स्लॉट में) के लिए स्थानांतरण को स्थगित करना।

(c) स्थानांतरण पर अधिकारियों के लिए वीओएफ सुविधाएं

3. इसके अलावा, एक केंद्र से दूसरे केंद्र में स्थानांतरण संबंधी सुविधाओं पर मौजूदा दिशा-निर्देशों में आंशिक आशोधन करते हुए, यह निर्णय किया गया है कि स्थानांतरित अधिकारियों को आकस्मिक खर्चों की दूसरी किस्त की प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि स्थानांतरण की तारीख से 12 महीने के अंदर या **बैंक द्वारा अनुमत किसी और अवधि के अंदर** वह परिवार के साथ नए केंद्र पर चले जाएं। परिवार को देर से शिफ्ट करने के लिए मानव

संसाधन विकास उद्-भाग से पूर्वानुमोदन आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए। सुविधा के लिए अन्य दिशानिर्देश यथा मात्रा/ पात्रता आदि अपरिवर्तित रहेंगे।

4. बैंक के मूलभूत परिचालनों के प्रति ग्रेड 'ए' और 'बी' में भर्ती किए गए नए अधिकारियों में विशेषज्ञता विकसित करने के दृष्टिगत, यह निर्णय किया गया है कि बैंक की सेवा के शुरुआती 10 वर्षों के लिए, अधिकारियों को शाखा कार्यालय /विस्तार शाखा कार्यालय में तैनात किया जाना जारी रहेगा।

5. आशोधनों का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है। आशोधन तत्काल रूप से और भावी प्रभाव से लागू होंगे। इस परिपत्र के जारी किए जाने की तारीख से पहले जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों को उपर्युक्त आशोधनों के कारण आस्थगन के लिए समीक्षित नहीं किया जाएगा।

स्थानांतरण नीति के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

ह./-
[वाई वेणुगोपाल राव]
महाप्रबंधक
मानव संसाधन विकास उद्-भाग

संलग्न : यथोपरि

<u>संलग्नक</u>

<u>स्थानांतरण नीति में आशोधन</u>

खंड	**मौजूदा प्रावधान**	**आशोधित प्रावधान**
5.1 e)	साधारणतया, प्रारम्भिक स्तर पर भर्ती किए गए - सभी नए अधिकारियों, अर्थात ग्रेड 'ए' और 'बी' को अधिमानतः शाखा /विस्तार शाखा कार्यालयों में रखा जाएगा। यद्यपि,त्यागपत्र सेवानिवृत्ति, नौकरी छोड़ने के साथ-साथ काम के दायरे में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली अत्यावश्यकताओं के मामले में नए भर्ती अधिकारियों की प्रारंभिक तैनाती प्रधान कार्यालय उद्-भागों या क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) में भी की जा सकती है।	प्रारम्भिक स्तर पर भर्ती किए गए सभी नए , अर्थात ग्रेड 'ए' और 'बी' को शाखा /विस्तार शाखा कार्यालयों में रखा जाएगा। इसके अलावा, बैंक में सेवा के प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए, अधिकारी, को शाखा /विस्तार शाखा कार्यालयों में तैनात किया जाना जारी रहेगा।
5.1 n)	नया खंड	कोविड -19 के कारण होने वाली कठिनाइयों के कारण, अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक की 2 वर्ष तक की अवधि को हटा दिया जाएगा और इसे उस केंद्र में सभी अधिकारियों के कार्यकाल की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा जहां उन्हें यथा 31 मार्च 2022 तक तैनात किया गया था। इस प्रकार, स्थानांतरण नीति के प्रयोजन के लिए, केंद्र में अधिकारियों के कार्यकाल की गणना अप्रैल 2020 मार्च 2022 तक की अवधि को निकाल करके की जाएगी। संवेदनशील पदों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में उपर्युक्त का अनुपालन केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा और खंड 4 ii के अनुसार संबंधित कार्यालय, कार्यावर्तन/डेस्क/विभाग के परिवर्तन को सुनिश्चित करेंगे।
6	**स्थानांतरण का आस्थगन**	**स्थानांतरण का आस्थगन एवं अवरोधन**
	स्थानांतरण का आस्थगन, यदि किसी एक केंद्र से आश्वासित है, तो	पूरे कार्यकाल में **अधिकतम चार वर्षों की अवधि** के लिए स्थानान्तरण संबंधी आस्थगन **(अधिकतम 2 वर्षों के दो**

	अनुकंपा आधार पर केवल बैंक के विवेकाधिकार से अनुमति दी जा सकती है। आस्थगन के लिए सभी अनुरोध शाखा प्रभारी/क्षेत्रीयप्रमुख/देशप्रमुख/सहयोगी संस्थान के प्रमुख, जैसा भी हो, के माध्यम से मानव संसाधन उद्-भाग प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना होगा, जो प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर निर्णय करेंगे। पदोन्नति पर स्थानांतरण के आस्थगन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौजूदा शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार अन्यथा अनुमोदित नहीं किया जाता।	**स्लॉट में लिया जा सकता है)** की दो बार अनुमति दी जाएगी। (i) बच्चों की शिक्षा; और (ii) व्यक्तिगत कठिनाई।
		बच्चों की शिक्षा
		यदि किसी अधिकारी का बच्चा 10वीं/12वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो स्थानांतरण को दो वर्ष तक के लिए स्थगित करने के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। यह सुविधा पूरे कार्यकाल में केवल दो बार ली जा सकती है और लगातार अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह के अनुरोधों की योजना बहुत पहले से बनाई जानी चाहिए और उसी केंद्र में स्थगन की सुविधा के लिए एचआरएमएस में इंगित किया जाना चाहिए। यद्यपि, इस तरह का आस्थगन उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जो सात साल से अधिक समय तक एक केंद्र में रहे हैं, भले ही वे अन्यथा पात्र हों। दो या दो से अधिक बच्चों वाले अधिकारी, जो एक के बाद एक 10वीं/12वीं कक्षा में जा रहे हैं, जिससे लगातार आस्थगन का आश्वासन अपेक्षित होगा, वे दूसरे केंद्र पर स्थानांतरण की मांग पहले ही कर सकते हैं।
		व्यक्तिगत कठिनाइयां
		एक अधिकारी को व्यक्तिगत कठिनाई के कारण पूरे करियर में कम से कम एक वर्ष के लिए दो आस्थगन की अनुमति दी जा सकती है। गंभीर बीमारियों हेतु स्वयं और आश्रितों का चिकित्सा-उपचार, अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई , पति या पत्नी की नौकरी आदि, जिसमें केंद्र में अधिकारी की निरंतर उपस्थिति अपरिहार्य होती है; बशर्ते अधिकारी-विशेष पूर्व में ही कम से कम एक स्थानांतरण का सामना कर चुका हो और सेवानिवृत्ति से पहले न्यूनतम कम से कम उसका पांच वर्ष का कार्यकाल शेष हो। तथापि, इस प्रकार का स्थगन उन अधिकारियों पर प्रयोज्य नहीं होगा, जो सात साल से अधिक समय तक एक केंद्र पर पदस्थ रहे हैं, भले ही वे इसके लिए अन्यथा पात्र हों। यदि बैंक के समक्ष इस आशय के पर्याप्त कारण हों कि तैनाती के मौजूदा केंद्र पर अधिकारी का बने रहना बैंक के हित में नहीं है या किसी अन्य कारण से सामान्य कार्य-निष्पादन की प्रक्रिया

		में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो बैंक बगैर कोई कारण बताए इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।
		टिप्पणियां : **1.** तथापि, इन आस्थगनों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **2.'पदोन्नति आधारित स्थानांतरण' का आस्थगन:** पदोन्नति पर स्थानांतरण को स्थगित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि मौजूदा डीओपी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा आशय का अनुमोदन नहीं किया जाता है। यदि पदोन्नति से जुड़े स्थानांतरण पर कोई अधिकारी स्थानांतरण को स्थगित करने का अनुरोध करता है तो, अधिकारी की वरिष्ठता केवल 6 महीने की अवधि तक ही संरक्षित की जाएगी।
10.6	**नया खंड**	**स्थानांतरण पर वीओएफ सुविधा** (वर्तमान में अनुमत रिपोर्टिंग की तारीख से 2 महीने से अधिक की अवधि) के स्थानांतरण पर अधिकारी **<u>वीओएफ की उपलब्धता की स्थिति</u>** में वीओएफ की सुविधा के पात्र होंगे। **I.** <u>पूर्वोत्तर, मोरबी और गांधीधाम के अलावा अन्य केंद्र</u> ○ उमप्र और उनसे उच्चतर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को बैंक के विवेकाधिकार पर स्थानांतरण पर वीओएफ (एकल अधिभोग के आधार पर) में विस्तारित अवधि हेतु निवास की अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक वर्ष के अंत तक बैंक के आवास /पट्टे की सुविधा को पुराने केंद्र पर अनुरक्षण की सुविधा की भी अनुमति दी जा सकती है। ○ वार्षिक स्थानांतरण पर ग्रेड 'ए', 'बी' और 'सी' के अधिकारियों से सामान्य अवधि में परिवार के साथ जाने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, यदि किसी असाधारण कारणवश, वे अपने परिवार को स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें मानव संसाधन विकास उद्भाग के पूर्वानुमोदन से वीओएफ में विस्तारित प्रवास की अनुमति दी जाएगी। ये अधिकारी बैंक के आवास/पट्टा सुविधा के बदले वीओएफ में साझा आवास के हकदार होंगे। हालांकि, वे पुराने केंद्र में बैंक के फ्लैट को बनाए रखने के हकदार नहीं होंगे।

		○ अधिकारी निर्धारित दरों के अनुसार वास्तविक आधार पर भोजन का खर्च वहन करेंगे। जब अधिकारी नए केंद्र में बैंक/पट्टे पर आवास का उपयोग करता/करती है तो उसे कोई मकान किराया भत्ता (एचआरए) देय नहीं होगा। II <u>पूर्वोत्तर, मोरबी और गांधीधाम केन्द्रों में</u> ○ पूर्वोत्तर, मोरबी और गांधीधाम केंद्रों में स्थानांतरित अधिकारियों को पुराने केंद्र में बैंक की आवास/पट्टा सुविधा बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है, और स्वयं के लिए पूरे प्रवास के दौरान अपने लिए मकान किराया भत्ता कटौती के साथ वीओएफ सुविधाएं (उपरोक्त I में उल्लिखित उनकी पात्रता के अनुसार) प्रदान की जा सकती हैं, बशर्ते वह स्थान उनका गृहनगर न हो। यदि कोई अधिकारी बैंक के आवास/पट्टे की सुविधा को पुराने केंद्र में नहीं रखता है और परिवार के लिए अपनी व्यवस्था करता है, तो उसे मकान किराया भत्ते की कटौती के बिना पूरी अवधि के दौरान वीओएफ में ठहरने के लिए आवास प्रदान किया जा सकता है। सामान्य भोजन प्रभार आदि, वास्तविक आधार पर, जैसा लागू हो, उपरोक्त सुविधा का लाभ उठाने वाले अधिकारियों से वसूल किया जा सकता है।

*****